[मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक २१ जुलाई, २०१४ को पुरःस्थापित]

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१४

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०१४.

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में,— **धारा २ का संशोधन.**

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) "माध्यस्थम् अधिनियम" से अभिप्रेत है, माध्यस्थम् अधिनियम, १९४० (१९४० का १०) (निरसित अधिनियम) या माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २६), जो भी लागू हो;";

(दो) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ) "सार्वजनिक उपक्रम" से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २ के खण्ड (४५) के अर्थ के अंतर्गत कोई सरकारी कंपनी और उसमें सम्मिलित है राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या सारत: धारित या नियंत्रित कोई निगम अथवा अन्य कानूनी निकाय चाहे वह प्रत्येक दशा में किसी भी नाम से ज्ञात हों.

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद "निगम" में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सोसाइटियाँ और प्राधिकरण, सम्मिलित समझे जाएंगे;".

३. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा ८ का संशोधन.**

"(५) विरोधी पक्षकार, सूचना में उपसंजाति के लिए विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व, लिखित उत्तर, जो विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा, ऐसे शपथ-पत्र के साथ फाइल कर सकेगा जिसमें उन प्रकथनों को सत्यापित किया गया हो जो उत्तर में किए गए हैं. उत्तर के साथ ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य संलग्न होंगे जिन पर कि विरोधी पक्षकार निर्भर रहना चाहता है.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) में पद ''माध्यस्थम् अधिनियम'' को परिभाषित किया गया है, जिसमें माध्यस्थम् अधिनियम, १९४० के प्रति निर्देश किया गया है. माध्यस्थम् अधिनियम, १९४०, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २६) द्वारा पूर्व में ही निरसित किया जा चुका है. अतः पद ''माध्यस्थम् अधिनियम'' की परिभाषा को युक्तियुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें माध्यस्थम् अधिनियम, १९४० या माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, १९९६ जो भी लागू है के प्रति निर्देश किया गया है. यह आवश्यक समझा गया है कि पद ''सार्वजनिक उपक्रम'' की परिभाषा में एक धारणा खण्ड अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सोसाइटियाँ और प्राधिकरण मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आ सकें.

२. मूल अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में निर्देश याचिका की प्रक्रिया का उपबंध है किन्तु निर्देश याचिका का उत्तर देने के लिए कोई प्ररूप विहित नहीं किया गया है. इस संबंध में निर्देश याचिका के उत्तर को सत्यापित करने और उसके साथ ऐसे दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्य संलग्न करने का, जिन पर कि विरोधी पक्षकार निर्भर रहना चाहता हो, उपबंध करने के लिए मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (५) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १२ जुलाई, २०१४.

कुसुम सिंह महदेले
भारसाधक सदस्य.

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) से उद्धरण

*   *   *   *

धारा २ (१) (क) ''माध्यस्थम् अधिनियम'' से अभिप्रेत है, माध्यस्थम् अधिनियम, १९४० (१९४० का सं. १०);

(ख) से (च)   *   *   *   *

(छ) ''लोक उपक्रम'' से अभिप्रेत है, कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) की धारा ६१७ के अर्थ के अंतर्गत कोई सरकारी कम्पनी, और उसके अंतर्गत कोई निगम या अन्य कानूनी, निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो दोनों में से, प्रत्येक दशा में पूर्णतः या सारतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन हो;

*   *   *   *

धारा ८ (५) विरोधी पक्षकार, सूचना में उपसंजाति के लिये विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व, लिखित उत्तर, विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा, ऐसे शपथ-पत्र के साथ फाइल कर सकेगा जिसमें कथनों को सत्यापित किया गया हो जो उत्तर में किये गये हैं.

*   *   *   *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.